प्रेषक,

मण्डलीय अपर निदेशक,
माध्यमिक शिक्षा,
गढ़वाल मण्डल पौड़ी।

सेवा में,

1— समस्त प्रधानाध्यापक/प्रधानाध्यापिका
रा०उ०मा०वि०/रा०क०उ०मा०वि०
गढ़वाल मण्डल पौड़ी।

2— समस्त प्रधानाचार्य/प्रधानाचार्या,
रा०इ०का०/रा०बा०इ०का०
गढ़वाल मण्डल पौड़ी।

पत्रांक/सेवा०अराज०/7552-55/विविध/प्रबन्ध–2/2022–2023/दिनांक 30 सितम्बर, 2022

विषयः— **अधिवर्षता आयु पूर्ण करने के फलस्वरूप सेवानिवृत्त सहायक अध्यापक (एल०टी०)/प्रवक्ता/प्रधानाध्यापक/प्रधानाध्यापिका/प्रधानाचार्य/प्रधानाचार्य रा०उ०मा० वि०/रा०क०उ०मा०वि०/रा०इ०का०/रा०बा०इ०का० के अवकाश नगदीकरण के सम्बन्ध में।**

महोदय्

उपर्युक्त विषयक विद्यालय संस्थाध्यक्षों के माध्यम से सेवानिवृत्त/सेवानिवृत्त होने वाले शिक्षकों एवं संस्थाध्यक्षों के अवकाश नगदीकरण प्रकरण मुख्य शिक्षा अधिकारियों को प्रेषित किए जाते हैं, जो सम्बन्धित जनपद के मुख्य शिक्षा अधिकारी के माध्यम से इस कार्यालय को प्राप्त होते हैं, किन्तु प्रकरणों की जाँचोपरान्त यह पाया जाता है कि अवकाश नगदीकरण आवेदन पत्रों में एकरूपता न होने के साथ ही सम्बन्धित सेवानिवृत्त शिक्षकों/संस्थाध्यक्षों का पूर्ण विवरण भी इंगित नहीं होने के कारण अवकाश नगदीकरण प्रकरणों के निस्तारण में विलम्ब की स्थिति उत्पन्न होती है।

अतः सेवानिवृत्त/सेवानिवृत्त होने वाले शिक्षकों एवं संस्थाध्यक्षों के अवकाश नगदीकरण स्वीकृति हेतु एकरूपता बनाये जाने के लिए निर्धारित आवेदन पत्र एवं प्रमाण पत्रों की छायाप्रति आपको इस निर्देश के साथ प्रेषित की जा रही है कि सेवानिवृत्त/सेवानिवृत्त होने वाले शिक्षकों एवं संस्थाध्यक्षों का सम्पूर्ण विवरण निर्धारित आवेदन पत्र में तैयार कर प्रमाण पत्रों के साथ उचित माध्यम से इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। संलग्न आवेदन पत्र एवं प्रमाण पत्रों से इतर आवेदन पत्र पर सूचना कदापि तैयार कर प्रेषित न की जाय। उक्त का कड़ाई से अनुपालन करना सुनिश्चित करें।

भवदीय

संलग्नकः— उपरोक्तानुसार।

30/9/22

(महावीर सिंह बिष्ट)
मण्डलीय अपर निदेशक (मा०शि०)
गढ़वाल मण्डल पौड़ी।

पृ०सं०/सेवा०अराज०/ ———— /विविध/प्रबन्ध–2/2022–2023 दिनांक उक्तांकित।

प्रतिलिपिः— समस्त मुख्य शिक्षा अधिकारी, गढ़वाल मण्डल पौड़ी को इस निर्देश के साथ प्रेषित की आप भी अपने स्तर से उपरोक्तानुसार अपने जनपदानान्तर्गत विद्यालय संस्थाध्यक्षों को निर्देश करना सुनिश्चित करें।

2— समस्त खण्ड शिक्षा अधिकारी, गढ़वाल मण्डल (द्वारा मुख्य शिक्षा अधिकारी)।

(महावीर सिंह बिष्ट)
मण्डलीय अपर निदेशक (मा०शि०)
गढ़वाल मण्डल पौड़ी।

उपार्जित अवकाश नगदीकरण हेतु आवेदन पत्र
(सेवानिवृत्ति/राजकीय सेवक की मृत्यु की स्थिति मे आश्रित के लिए)

1– आवेदक का नाम

2– पदनाम

3– विद्यालय का नाम

4– सम्पूर्ण सेवाकाल में लिए गए उपार्जित अवकाशों का विवरण दिनांक सहित

5– जन्मतिथि

6– राजकीय सेवा में मौलिक पद पर प्रथम नियुक्ति तिथि (सेवा पुस्तिका की छायाप्रति संलग्न करें)

7– अशासकीय विद्यालय में की गई सेवा का विवरण

(दिनांक ....से दिनांक .... तक)

8– सेवानिवृत्ति/राजकीय सेवक की मृत्यु का दिनांक

9– राजकीय सेवक की मृत्यु की दशा में अवकाश नगदीकरण भुगतान हेतु आश्रित का नाम एवं पता

10– डिटेन प्रमाण पत्र मूलरूप में

क्र० सं०	डिटेन प्रमाण पत्र का विषय	दीर्घावकाश में किए गए कार्य की अवधि		डिटेन प्रमाण पत्र संलग्न है		डिटेन प्रमाण पत्र की संलग्नक संख्या
		कब से	कब तक	हाँ	नहीं	
1	2	3	4	5	6	7
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						

11– सेवानिवृत्ति के पश्चात लेखे में अर्जित अवकाशों की संख्या

आवेदक के हस्ताक्षर
पदनाम
विद्यालय का नाम
(मृत्यु की दशा में पदनाम/विद्यालय का नाम लागू नहीं)

नोटः– सम्बन्धित विद्यालय संस्थाध्यक्ष सेवानिवृत्त शिक्षकों की अशासकीय विद्यालय में की गयी सेवाओं की अवधि के अर्जित अवकाशो की गणना अवकाश नगदीकरण हेतु कदापि न करें। यदि भविष्य में यह पाया जाता है कि शिक्षकों की अशासकीय विद्यालय में की गयी सेवाओं की अवधि के अर्जित अवकाशो की गणना अवकाश नगदीकरण हेतु की गयी है, तो इसके लिए सम्बन्धित विद्यालय संस्थाध्यक्ष पूर्णरूप से उत्तरदायी होंगे।

विद्यालय संस्थाध्यक्ष की संस्तुति	खण्ड शिक्षा अधिकारी की संस्तुति	मुख्य शिक्षा अधिकारी की संस्तुति

अदेय प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री .... सहायक अध्यापक (एल०टी०)/प्रवक्ता/प्रधानाध्यापक/प्रधानाध्यापिका/प्रधानाचार्य/प्रधानाचार्या रा०उ०मा०वि०/रा०क०उ०मा०वि०/रा०इ०का०/रा० बा०इ०का० जनपद .... जो इस विद्यालय से अधिवर्षता आयु पूर्ण करने के फलस्वरूप दिनांक .... को सेवानिवृत्त हुए हैं, पर विद्यालय की किसी भी सामग्री/धनराशि कार्यालय अभिलेखानुसार शेष नहीं है।

विद्यालय संस्थाध्यक्ष की संस्तुति	खण्ड शिक्षा अधिकारी की संस्तुति	मुख्य शिक्षा अधिकारी की संस्तुति

अवैतनिक/विशेष असाधारण अवकाश/सेवा व्यवधान

प्रमाणित किया जाता है कि श्री .... सहायक अध्यापक (एल०टी०)/प्रवक्ता/प्रधानाध्यापक/प्रधानाध्यापिका/प्रधानाचार्य/प्रधानाचार्या रा०उ०मा०वि०/रा०क०उ०मा०वि०/रा०इ०का०/रा० बा०इ०का० जनपद .... का सेवा अभिलेखानुसार दिनांक .... से दिनांक .... तक अवैतनिक/विशेष असाधारण अवकाश पर रहे हैं जो सक्षम प्राधिकारी के स्तर से स्वीकृत/अस्वीकृत है। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि श्री .... सहायक अध्यापक (एल०टी०)/प्रवक्ता/प्रधानाध्यापक/प्रधानाध्यापिका/प्रधानाचार्य/प्रधानाचार्या रा०उ०मा०वि०/रा०क०उ०मा०वि०/रा०इ०का०/रा० बा०इ०का० जनपद .... प्रथम नियुक्ति तिथि से अधिवर्षता आयु पूर्ण होने के फलस्वरूप सेवानिवृत्ति तिथि तक का सेवा व्यवधान नहीं रहा है।

विद्यालय संस्थाध्यक्ष की संस्तुति	खण्ड शिक्षा अधिकारी की संस्तुति	मुख्य शिक्षा अधिकारी की संस्तुति